



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172549

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4957 सन् 2026

अंकुश @ सोनू

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: आशीष सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 86

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को पुनरीक्षण के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष के साथ प्रस्तुत किया है।
2. पुनरीक्षण में उल्लिखित अनुतोष नीचे दिया गया है :-

"अतः, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक इस पुनरीक्षण को स्वीकार करने तथा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ द्वारा वाद संख्या 84 सन् 2024 (श्रीमती प्रीति बनाम अंकुश @ सोनू), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17-6-2026 को अपास्त करने की कृपा करे, जिसके द्वारा विद्वान परिवार न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को आवेदन दिनांक 26.11.2024 से 5000/- रुपये प्रति माह तथा पुनरीक्षणवादी एवं विपक्षी

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पक्षकार संख्या 2 के पुत्र मास्टर हरदयांश को 2000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि प्रदान की है।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ द्वारा वाद संख्या 84 सन् 2024 (श्रीमती प्रीति बनाम अंकुश @ सोनू), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.06.2026 के प्रभाव एवं संचालन पर, जिसके द्वारा विद्वान परिवार न्यायालय ने विपक्षी पक्षकार संख्या 2 को आवेदन दाखिल किए जाने की दिनांक अर्थात् 26.11.2024 से 5,000/- रुपये प्रति माह तथा पुनरीक्षणवादी एवं विपक्षी पक्षकार संख्या 2 के पुत्र मास्टर हरदयांश को 2,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि प्रदान की है, इस माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान रोक लगाने की कृपा करे, अन्यथा पुनरीक्षणवादी को अपूरणीय हानि एवं क्षति होगी।"

3. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश दिनांक 17.06.2026 के माध्यम से पत्नी को 5,000/- रुपये तथा पुत्र को 2,000/- रुपये की अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि आवेदन की दिनांक से प्रदान की गई है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणवादी आदेश की दिनांक से अंतरिम भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अंतिम रूप से निर्णय किए जाने के समय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रजनेश बनाम नेहा; (2021) 2 एस.सी.सी. 324** के निर्णय के अनुसार, आदेश की दिनांक से अथवा आवेदन की दिनांक से, भरण-पोषण प्रदान करते हुए आदेश पारित करेंगे।
4. न्यायहित में, आवेदन की दिनांक से 17.06.2026 तक के भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली स्थगित रहेगी। जहां तक आदेश की दिनांक अर्थात् 17.06.2026 से अंतरिम भरण-पोषण का प्रश्न है, उसका भुगतान पुनरीक्षणवादी द्वारा इस माह से किया जाएगा। पुनरीक्षणवादी को आदेश की दिनांक अर्थात् 17.06.2026 से भरण-पोषण की धनराशि के समस्त देय/बकाया का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. यदि पुनरीक्षणवादी उपर्युक्त किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ को आदेश दिनांक 17.06.2026 के अनुसार पुनरीक्षणवादी से भरण-पोषण की धनराशि के बकाया की वसूली के लिए कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।
6. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात तथा बिना किसी अनावश्यक स्थगन की अनुमति दिए, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लंबित आवेदन पर अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करें।
7. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हापुड़ के लिए यह अभी भी खुला रहेगा कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता/144 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदन का अंतिम रूप से निर्णय करते समय, **रजनेश(पूर्वोक्त)** के निर्णय के दृष्टिगत, भरण-पोषण की धनराशि आवेदन की दिनांक से अथवा आदेश की दिनांक से प्रदान की जा सकती है।
8. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, यह पुनरीक्षण **निस्तारित** किया जाता है।

17 अगस्त, 2026

के. तिवारी

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”